Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 189-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 21, 2022 (ASVINA 29, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 अक्तूबर, 2022

संख्या 15/3/2022–2पी०एच०.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1986, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, कनिष्ठ इंजीनियर (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1986 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में –

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

'(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग; ' ;

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :–

"(ख क) 'विभागीय परीक्षा' से अभिप्राय है, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) या कनिष्ठ इंजीनियर (मैकेनिकल), जैसी भी स्थिति हो, के पद पर ग्रुप ग या ग्रुप घ पात्र कर्मचारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के प्रयोजन के लिए परीक्षा ; " ;

(iii) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात :–

"(घ क)'ग्रुप ग कर्मचारी' से अभिप्राय है, निम्नलिखित सेवा नियमों द्वारा शासित कर्मचारी, अर्थात :–

(i) हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय कार्यालय, लिपिक वर्गीय (वर्ग ग) सेवा नियम, 1982;

(ii) हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, परिमण्डल संवर्ग, लिपिक वर्गीय (ग्रुप– ग) सेवा नियम, 1989;

(iii) हरियाणा, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, परिमण्डल संवर्ग, यान्त्रिकी स्थापना (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2009;

(iv) हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग प्रारुपकार (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2011 । " ।

"(घ ख)'ग्रुप घ कर्मचारी' से अभिप्राय है, हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के प्रारम्भ से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त तथा निम्नलिखित सेवा नियमों द्वारा शासित कर्मचारी, अर्थातः–

(i) हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, मुख्यालय अनुसचिवीय,(ग्रुप घ) सेवा नियम, 1993;

(ii) हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, परिमण्डल संवर्ग, अनुसचिवीय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1995;

(iii) हरियाणा लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य शाखा, परिमण्डल संवर्ग, यान्त्रिक स्थापना (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1995 ।"

3. उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"9. **भर्ती का ढ्रंग:—**

(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगीः—

(i) कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) की दशा में,—

(क) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 10 प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से चयन से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ग) 5 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से चयन से पदोन्नति द्वारा; या

(घ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; और

(ii) कनिष्ठ इंजीनियर (मकैनिकल) की दशा में,—

(क) 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा

(ख) 10 प्रतिशत ग्रुप ग कर्मचारियों में से चयन से पदोन्नति द्वारा; तथा

(ग) 5 प्रतिशत ग्रुप घ कर्मचारियों में से चयन से पदोन्नति द्वारा; या

(घ) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) (i) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त सभी कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल या मकैनिकल) से उन्हें स्वतन्त्र प्रभार दिए जाने से पूर्व सीधी भर्ती की दशा में 3 मास तथा पदोन्नति की दशा में एक मास की अवधि की प्रेरण प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

(ii) सभी कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल या मकैनिकल) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार कम से कम पांच दिन की अवधि के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

(3) ग्रुप ग और ग्रुप घ पात्र कर्मचारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति विभागीय परीक्षा की योग्यताक्रम सूची के आधार पर की जाएगी।

(4) ग्रुप ग या ग्रुप घ के किसी कर्मचारी जिसने कैलेण्डर वर्ष की प्रथम जनवरी को 54 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो। विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

विभागीय परीक्षा और उसकी प्रक्रिया

9(क) (1) विभागीय परीक्षा ग्रुप ग और या ग्रुप घ कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटा में से रिक्त पदों की उपलब्धता के अदयधीन परिशिष्ट च और छ में वर्णित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रमुख अभियंता द्वारा कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार संचालित की जाएगी।

(2) प्रत्येक सेवा के सदस्य को विभागीय परीक्षा में न्यूनतम 60ः अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें असफल रहने पर उसे कनिष्ठ इंजीनियर के पद के विरूद्ध विचारण के लिए पुनः उपस्थित होना पड़ेगा । परीक्षा का परिणाम योग्यताक्रम वार (अर्थात प्राप्त अंकों के आधार पर) और ग्रुप ग और ग्रुप घ दोनों कर्मचारियों के लिए अलग–अलग घोषित किया जाएगा।

(3) यदि किसी विशेष ग्रुप का सेवा का सदस्य जो विभागीय परीक्षा अर्हता करता है, की संख्या उस ग्रुप की उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है, तो शेष कर्मचारी का चयन / नियुक्ति उसी कैलेंडर वर्ष जिसमें परीक्षा आयोजित की गई है में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उनके योग्यताक्रम के आधार पर की जाएगी।

4. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"11. ज्येष्ठताः— सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा–काल के अनुसार निश्चित की जाएगीः

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग–अलग निश्चित की जाएगीः

परन्तु यह और की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निश्चित योग्यताक्रम को भंग नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यो की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी –

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरण किए गए थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी सामान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

परन्तु यह और कि एक ही बैच में विभागीय परीक्षा अर्हता करने के बाद चयन द्वारा पदोन्नत ग्रुप ग और ग्रुप घ के सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ग्रुप ग और ग्रुप घ कर्मचारी की चयन द्वारा पदोन्नति के लिये विभागीय परीक्षा के परिणामस्वरूप योग्यताक्रम के अनुसार अलग–अलग निर्धारित की जाएगी और आगे जहां तक ग्रुप ग और ग्रुप घ कर्मचारियों के बीच परस्पर ज्येष्ठता का संबंध है, ग्रुप ग के चयन द्वारा पदोन्नत कर्मचारी, ग्रुप घ के चयन द्वारा पदोन्नत कर्मचारियों से ज्येष्ठ होंगे।

परन्तु यह और कि यदि एक ही ग्रुप से चयन द्वारा पदोन्नत दो या दो से अधिक कर्मचारी परीक्षा के उसी बैच में समान अंक प्राप्त करते है, तो उनकी ज्येष्ठता ग्रुप, जिसमें वे विभागीय परीक्षा में बैठने के समय कार्य कर रहे थे, में उनके सेवाकाल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि सेवा काल भी समान है, तो उनकी ज्येष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी, तथा बड़े को ज्येष्ठ माना जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

"14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें:–

(1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरुप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथाविनिर्दिष्ट है"।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	585	वृतिमूलक वेतन स्तर–6, सेल–1 = 35400/– रुपये
2.	कनिष्ठ इंजीनियर (मकैनिकल)	30	वृतिमूलक वेतन स्तर–6, सेल–1 = 35400/– रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक / इंजीनियरिंग में बैचलर (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत।	**पदोन्नति द्वारा–** (i) ग्रुप ग कर्मचारी के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; या ग्रुप घ कर्मचारी के रुप में आठ वर्ष का अनुभव; (**टिप्पण** :– अनुभव केवल नीचे यथावर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद ही विचारा जाएगा) (ii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक / इंजीनियरिंग में बैचलर (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टैक / इंजीनियरिंग में बैचलर (सिविल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; (ii) कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के रुप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत।
2	कनिष्ठ इंजीनियर (मकैनिकल)	(i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक / इंजीनियरिंग में बैचलर (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा;	**पदोन्नति द्वारा–** (i) ग्रुप ग कर्मचारी के रुप में पाँच वर्ष का अनुभव; या ग्रुप घ कर्मचारी के रुप में आठ वर्ष का अनुभव; (**टिप्पण** :– अनुभव केवल नीचे यथावर्णित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के बाद ही विचारा जाएगा) (ii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान से मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा;

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
		तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत।	या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक / इंजीनियरिंग में बैचलर (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; तथा **स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–** (i) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, हरियाणा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा संचालित मकैनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा; या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मकैनिकल इंजीनियरिंग में बी.टैक / इंजीनियरिंग में बैचलर (मकैनिकल) या इंजीनियर संस्थान से ऐसोसिएट मैम्बरशिप परीक्षा; (ii) कनिष्ठ इंजीनियर (मकैनिकल) के रुप में दो वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रुप में हिन्दी या संस्कृत।

टिप्पण 1: केवल सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले उम्मीद्वार ही पात्र होंगे।

टिप्पण 2: सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, सेवा ग्रहण करने के उपरान्त प्राप्त की गई किसी उच्चतर योग्यता को किसी सेवा लाभ के लिए विचारा नहीं जाएगा।

टिप्पण 3: उम्मीदवार को खाना 4 में यथावर्णित अर्हताओं सहित विभागीय परीक्षा अर्हक करनी होगी।

परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 14 (1)}

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय अपील–प्राधिकारी, यदि कोई हो।
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	कनिष्ठ इंजीनियर(सिविल) कनिष्ठ इंजीनियर(मकैनिकल)	प्रमुख इंजीनियर	(i) **छोटी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। (ii) **बड़ी शास्तियां–** हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	अधीक्षक इंजीनियर प्रमुख इंजीनियर	प्रमुख इंजीनियर सरकार	सरकार ..

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 14 (2)}

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरुप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ इंजीनियर(सिविल)	(i) पेन्शन को शासित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा का समाप्ति; तथा	प्रमुख इंजीनियर	सरकार
2.	कनिष्ठ इंजीनियर(मकैनिकल)	(iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने से पूर्व लोकहित में समयपूर्व सेवानिवृति।		

परिशिष्ट ड़

{देखिए नियम 9 (4)}

कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के पद पर चयन **द्वारा पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पाठयक्रम।**

1. **इंजीनियरिंग आरेखण** : आरेखण औजारेां, अक्षरांकन, लाइने और सामग्री के परम्परागत संकेत, परिमाप खाका, ज्यामितीय आरेखण, पैमाना, प्रक्षेपण, समितीय प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण, परिप्रेक्ष्य दृश्य, अन्य सभी संबंधित अभियांत्रिकी चित्र आदि।
2. **निर्माण सामग्री** : ईंटे, पत्थर, चूना, सीमेंट, लकड़ी, रेत, सुरखी, राख, कांच, प्लास्टर ऑफ़ पेरिस, इस्पात, एल्युमिनियम, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अन्य सभी सामग्री आदि।
3. **भवन निर्माण** : ईंट चिनाई और विभिन्न प्रकार के बांडज , पत्थर की चिनाई, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, नींव, फर्श, सरदल और मेहराब, बढ़ईगीरी और विभिन्न प्रकार के जोड़ों, दरवाजे, खिडकियां और वेंटिलेशन, छतें, सीढ़ियां, आवासीय इमारत और उसकी योजना, आर्द्र प्रशिक्षण कोर्स, सफेदी और रंग रोगन, अनुरेखण, ट्रेसिंग, चित्रकारी, कांच और एल्युमीनियम कार्य तथा लकड़ी का कार्य आदि।
4. **सहबद्ध ट्रेड** : विद्युत तारकशी, बढ़ईगीरी, नलसाजी, विद्युत यांत्रिक उपकरण, वातानुकूलन, स्मार्ट तत्व, स्वचालन, स्काडा तथा सभी आई टी एप्लिकेशन आदि।
5. **सर्वेक्षण** : जरीब सर्वेक्षण, चित्रणफलक सर्वेक्षण, समतलन तथा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण उपकरण तथा अग्रिम सर्वेक्षण आदि।
6. **रेलवे, रोड और सड़क पुल** : सड़कें, रेलवे पुल तथा पुलियां वर्गीकरण और उनके घटक आदि।
7. **जल संसाधान इंजीनियरिंग**: जल विज्ञान, जल वितरण कार्य, पार जल निकासी, विचलन भंडारण हेड वर्क्स आदि।
8. **जल आपूर्ति और स्वच्छता इंजीनियरिंग**: जल आपूर्ति, सीवरेज और बरसाती जल, वितरण, स्वच्छता प्रणाली, सैनिटरी फिटिंग, नालियां, उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, सीवेज उपचार संयंत्र, सामान्य अपशिष्ट संयंत्र, सरकारी इमारत, संचालन और रखरखाव कार्य, सीवर सफाई मशीन आदि।
9. **प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और इस्पात संरचनाऐं** : प्रबलित सीमेंट कंक्रीट – सामग्री का चयन, फार्मवर्क्स, गर्डर षहतीर , रिवेटस और जोडों के प्रकार, नट और बोल्ट, इस्पात संरचनाओं के अनुभाग, बेसिक डिजाईन, डब्लयू एस एम, सी एस एम आदि।
10. आकलन **और लागत** : माप की इकाइयॉ, भवन के मुख्य भाग, अनुमान के प्रकार, विस्तृत भवन अनुमान का ढंग, दर विश्लेषण, भवन निर्माण विशिष्टियां, बीलिंग, माप पुस्तकें आदि।

परिशिष्ट च

{देखिए नियम 9 (4)}

कनिष्ठ इंजीनियर (मकैनिकल) **के पद पर** चयन **द्वारा पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पाठयक्रम।**

1 **इंजीनिरिंग आरेखण** : आरेखण औजार, अक्षरांकन, लाइने और सामग्री के परम्परागत संकेत, परिमाप खाका, ज्यामितीय आरेखण, पैमाना, प्रक्षेपण, सममितीय प्रक्षेपण, परोक्ष प्रक्षेपण, परिप्रेक्ष्य दृश्य, अन्य सभी संबंधित अभियांत्रिकी चित्र आदि।

2 **मशीन सामग्री** : धातु और गैर–धातु के बीच अंतर, नट और बोल्ट, रीवटस, ताला उपकरण, शिकंजा, स्टड आदि ।

3 **सरल कार्यशाला मशीन**: खराद, ड्रिलिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, शौपर, मिलिंग मशीन, यांत्रिक जैक, हाइड्रोलिक जैक, सीवर सफाई मशीन आदि।

4 **संबद्ध व्यवसाय** : विद्युत तारकशी, बढ़ईगीरी, नलसाजी, विद्युत यांत्रिक उपकरण, वातानुकूलन, स्मार्ट तत्व, स्काडा, स्वचालन तथा सभी आईटी एप्लिकेशन आदि ।

5 **मापने के उपकरण** : वरनियर कैलिपर, सूक्ष्ममापी, गहराई गेज, वाहन मील–दूरी मीटर, घंटे मीटर, दबाव गेज, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर आदि ।

6 **विभागीय मशीनें और वाहन** : ड्रिलिंग रीग, हवा कंप्रेसर, उत्पादन सेट, ट्रक, जीप तथा उनके कार्य के सिद्धांत और क्षमता आदि ।

7 **नलकूप निर्माण** : नलों तथा स्ट्रेनर को दर्शाते हुए नलकूपों के भू–वैज्ञानिक स्तर के नक्शे, बजरी पेकिंग, कैविटी टयूबवेल, रोटरी /डीटीएच ट्यूबवेल का ज्ञान, सभी प्रकार की मशीनों के माध्यम से नलकूपों की ड्रिलिंग आदि ।

8 **जल आपूर्ति और स्वच्छता** : जल आपूर्ति, सीवरेज और बरसाती जल, वितरण, स्वच्छता प्रणाली, सैनिटरी फिटिंग, जल आपूर्ति और सीवरेज उपचार संयंत्र में प्रयुक्त किया गया पम्प आदि ।

9 **वेल्डिंग और टांकना** : गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टांकना, कलम्पिंग और बन्धन के ढंग ।

10 **अनुमान तथा लागत आंकना**: माप की इकाइयॉं, मशीनरी, नलकूपों और पम्पों के मुख्य अंग, अनुमानों के प्रकार, दर विश्लेषण, मशीनरी विशिष्टियां, विस्तृत मशीनरी अनुमानों के ढंग, बीलिंग, माप पुस्तके आदि ''।

ए० के० सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

Notification

The 21th October, 2022

No. 15/3/2022-2PH.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Junior Engineers (Group C) Service Rules, 1986, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Junior Engineers (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Junior Engineers (Group C) Service Rules, 1986 (hereinafter called the said rules), in rule 2,-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission; ’ ;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(ba) **“departmental examination”** means the examination for the purpose of promotion by selection amongst the eligible employees of Group C or Group D to the post of Junior Engineer(Civil) or (Mechanical), as the case may be; ’ ;

(iii) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(da) **“Group C employees**” means the employees governed by the following service rules, namely:-

(i) the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Headquarters Office Ministerial (Group C) Service Rules, 1982,

(ii) the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Circle Cadre Ministerial (Group C) Service Rules, 1988,

(iii) the Haryana Public Health Engineering Department , Circle Cadre Mechanical Establishment (Group C) Service Rules, 2009,

(iv) the Haryana Public Health Engineering Department, Draftsmen (Group C) Service Rules, 2011,

(db) “**Group D employees**” means the employees appointed on regular basis before the commencement of the Haryana Group ‘D’ Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018) and governed by the following service rules, namely:-

(i) the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Headquarters Office Ministerial (Group D) Service Rules, 1993,

(ii) the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Circle Cadre Ministerial (Group D) Service Rules, 1995,

(iii) the Haryana Public Works Department, Public Health Branch, Circle Cadre Mechanical (Group D) Service Rules, 1995, ’

3. In the said rules, for rule 9, the following rules shall be substituted, namely:-

“**9. Method of recruitment**:-

(1) *Recruitment to the Service shall be made, -*

(i) *in the case of Junior Engineers (Civil),---*

(a) *85% by direct recruitment; and*

(b) 10% promotion by selection from amongst Group ‘C’ employees*; and*

(c) 5% promotion by selection from amongst Group ‘D’ employees*; or*

(d) *by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;*

(ii) *in the case of Junior Engineers (Mechanical), ---*

(a) *85% by direct recruitment; and*

(b) 10% promotion by selection from amongst Group ‘C’ employees*; and*

(c) 5% promotion by selection from amongst Group ‘D’ employees*; or*

(d) *by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;*

(2) (i) All the Junior Engineers (Civil or Mechanical) appointed by direct recruitment or by promotion shall, required to undergo induction training for a period of three months in case of direct recruitment or one month in case of promotion before they are given independent charge.

(ii) All the Junior Engineers shall undergo refresher training for a period of not less than five days once in every five years.

(3) The promotion by selection from amongst eligible Group ‘C’ and ‘D’ employees shall be made on the basis of merit list of departmental examination.

(4) An employee of Group C or D who has not attained the age of fifty-four years as on the 1st January of the calendar year shall be eligible for appearing in departmental examination.

Departmental examination and procedure thereof

9A (1) The departmental examination shall be conducted at least once in a calendar year by the Engineer-in-Chief as per the syllabus mentioned in appendices E and F, subject to availability of vacant posts out of the quota earmarked for Group C and/or Group D employees.

(2) Each member of Service has to obtain minimum 60% marks in the departmental examination failing which he has to re-appear for consideration against the post of Junior Engineer. The result of examination shall be declared merit-wise (i.e. on the basis of marks obtained) and separately for both Group C and D employees.

(3) If the number of members of Service of any particular Group qualifying the departmental examination is more than the number of available vacancies of that Group, the remaining employee(s) shall be selected/appointed on the basis of their merit against the vacancies arising in the same calendar year in which the examination has been conducted.

4. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

“**11. Seniority**:- Seniority, inter-se, of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member:

Provided further that in the case of members of Group C and D promoted by selection after qualifying departmental examination in the same batch, the seniority shall be fixed as per merit in the result of departmental examination for promotion by selection of Group C and D employees separately and further as far as inter-se seniority among Group C and Group D employees(s) is concerned, employees promoted by selection through Group C shall be senior to those promoted by selection through Group D;

Provided further that in case if two or more employees are promoted by selection from the same Group and obtain equal number of marks in the same batch of examination, their seniority shall be determined on the basis of their length of service in the Group in which they were working at the time of appearing in departmental examination. If the length of service is also the same then their seniority shall be determined on the basis of age, and the elder/eldest shall be regarded as senior.

5. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

"14. Discipline, penalties and appeals:-

(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules".

(2) The authority competent to pass an order under clause(c) or clause(d) or clause(f) of rule 9 of the Haryana Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.

6. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:-

"APPENDIX A

(see rule 3)

Serial Number	**Designation of posts**	**Number of posts**	**Scale of Pay**
1	2	3	4
1.	Junior Engineers (Civil)	585	F.P.L-6, cell-1= ₹ 35400/-
2.	Junior Engineers (Mechanical)	30	F.P.L-6, cell-1= ₹ 35400/-

APPENDIX B

(see rule 7)

Serial Number	***Designation of Post***	***Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment***	***Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.***
1	***2***	***3***	***4***
1.	Junior Engineer (Civil)	(i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	**By Promotion-** (i) Five years experience as Group 'C' employee; OR Eight years experience as Group 'D' employee; (**Note**-The experience only after acquiring the academic qualification as mentioned below shall be considered.) (ii) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government; Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers. **By transfer or deputation-** (i) Three years Diploma in Civil Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others Institute recognized by the Government;

Serial Number	***Designation of Post***	***Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment***	***Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.***
1	***2***	***3***	***4***
			Or B.Tech in Civil Engineering/ Bachelor in Engineering (Civil) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; (ii) two years experience as Junior Engineer(Civil); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Higher Education.
2.	Junior Engineer (Mechanical)	(i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	**By Promotion-** (i) Five years experience as Group 'C' employee; OR Eight years experience as Group 'D' employee; (**Note**- The experience only after acquiring the academic qualification as mentioned below shall be considered.) (ii) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers. **By transfer or deputation-** (i) Three years Diploma in Mechanical Engineering, conducted by the State Board of Technical Education, Haryana or any others institutions recognized by the Government; Or B.Tech in Mechanical Engineering/ Bachelor in Engineering (Mechanical) from any recognized university, approved by the University Grants Commission/All India Council for Technical Education or Associate Membership Examination of the Institute of Engineers; (ii) two years experience as Junior Engineer(Mechanical); and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or higher education.

Note 1: Only candidates having Diploma or Degree as recognized by the Government shall be eligible.

Note 2: Any higher qualification obtained after joining the service, without prior permission of the competent authority, shall not be considered for any service benefit.

Note 3: A candidate shall have to qualify the departmental examination alongwith the qualifications as mentioned in column 4.

APPENDIX C

[see rule 14(1)]

Serial Number	Designation of Post	Appointing authority	Name of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Junior Engineer (Civil)	Engineer-in- Chief	**(i) Minor Penalties-** As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Superintending Engineer	Engineer-in-Chief	Government
2.	Junior Engineer (Mechanical)		**(ii) Major Penalties-** As prescribed in Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Engineer-in-Chief	Government	-----

APPENDIX D

[see rule 14(2)]

Serial Number	Designation of Post	Nature of Order	Authority empowered to make Order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1. 2.	Junior Engineer (Civil) Junior Engineer (Mechanical)	(i) reducing or withholding the amount of pension admissible under the rules governing pension; (ii) termination of Service (iii) premature retirement from service in public interest before attaining the age of superannuation.	Engineer-in-Chief	Government ”.

APPENDIX E

(see rule 9(4)

SYLLABUS FOR HOLDING DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR PROMOTION BY SELECTION TO THE POST OF JUNIOR ENGINEER (CIVIL)

1. ENGINEERING DRAWING

Drawing instruments, lettering, lines and conventional signs of materials, dimensioning sketching, geometrical drawing, scales, Projection –Isometric projection, oblique projection, perspective views, all other respective engineering drawings etc.

2. BUILDING MATERIAL

Bricks, Stone, Lime, Cement, Timber, Sand, Surkhi, Cinder, glass, plaster of paris, steel, aluminium, all other material being used in building etc.

3. BUILDING CONSTRUCTION

Brick masonry and various types of bonds, stone masonry, reinforced cement concrete, foundation, floor, lintels, and arches, carpentry and various types of joints, door, windows and ventilation, roofs, stairs, residential building and its planning, damp proofing course, pointing, white and colour washing, Drawing tracing, painting, glass & aluminium work, wooden works etc.

4. ALLIED TRADE

Electrical wiring, Carpentry, Plumbing, electro-mechanical instrumentation, air conditioning, smart element, automization, SCADA, all IT application etc.

5. SURVEYING

Chain surveying, Plane Table Surveying, Leveling and various surveying instruments, advance surveying etc.

6. RAILWAY, ROAD AND BRIDGE

Roads, railway culverts and bridge-classification and components etc.

7. WATER RESOURCES ENGINEERING

Hydrology, water distribution works, cross drainage works, diversion storage Head Works etc.

8. WATER SUPPLY AND SANITATION ENGINEERING

Water supply, sewerage and storm water, distribution, sanitation system, sanitary fittings, drain, reuse of treated waste water, sewage treatment plant, common effluent treatment plant, government building, operation and maintenance works, sewer cleaning machine etc.

9. REINFORCED CEMENT CONCRETE AND STEEL STRUCTURES

Reinforcement cement concrete- selection of material, form work extra beams and girders, rivets and type of joints, nuts and bolts, steel structures section, Basic design, WSM, CSM etc.

10. ESTIMATING AND COSTING

Units of measurement, main items of building, types of estimate, method of detailed building estimate, rate analysis, building specifications, billing, measurement books etc.

APPENDIX F

[see rule 9(4)]

SYLLABUS FOR HOLDING DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR PROMOTION BY SELECTION TO THE POST OF JUNIOR ENGINEER (MECHANICAL).

1. Engineering drawing

Drawing instruments, lettering, lines and conventional signs of materials, dimensioning sketching, geometrical drawing, scales, Projection –Isometric projection, oblique projection, perspective views, all other respective engineering drawing etc.

2. Machine materials

Difference between metal and non-metal, nut and bolts, rivets, locking devices, screws, studs etc.

3. Simple workshop machines

Lathe, drilling machine, welding machine, shaper, milling machine, mechanical jack, hydraulic jack, sewer cleaning machine etc.

4. Allied trades

Electric wiring, carpentry, plumbing, electro-mechanical, instrumentation, air-conditioning, smart element, SCADA, automization, all IT applications etc.

5. Measuring instruments

Vernier caliper, micrometer, depth gauge, vehicle mileage meter, hour meter, pressure gauge, ampere meter, volt meter etc

6. Departmental machines and vehicles

Drilling rigs, air compressor, generating sets, trucks, jeeps their working principles and capacities etc.

7. Tubewell construction

Geological strata of tubewells showing location of pipes and strainer, packing of gravel, knowledge of cavity tubewells, Rotary/DTH tubewells, drilling of tubewells through all kinds of machines etc.

8. Water supply and sanitation

Water supply, sewerage and storm water system, distribution, sanitation system, sanitary fittings, pumps used in water supply and Sewerage Treatment Plants.

9. Welding and brazing

Gas welding, Arc welding, brazing, clamping and fastening methods.

10. Estimate and costing

Units of measurements, main items of machineries, tubewell, pumps, types of estimates, rate analysis, machineries specifications, methods of detailed machinery estimates, billing, measurement books etc.".

A. K. SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Public Health Engineering Department.

9937—C.S.—H.G.P., Pkl.